न्यायालय :– अपर सेशन न्यायाधीश सं0 2, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी	:–	लतिका दीपक पाराशर, आर.जे.एस. (डी.जे. कैडर)
जमानत आवेदन संख्या	:–	386/2026
C.I.S. Number	:–	386/2026
C.N.R. Number	:-	RJHG010010582026

सतीश जैन पुत्र श्री विनोद कुमार, उम्र 45 वर्ष, निवासी मकान नंबर 04433, बल्लाराम नगर, गली नंबर 10/2023 बठिण्डा, तहसील व जिला बठिण्डा।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन की प्राथमिकी सं0 357/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 112 (2) भारतीय न्याय संहिता, धारा 13 आरपीजीओ व धारा 66 डी आईटी एक्ट

उपस्थिति:–

1. श्री राजेश छाबड़ा, अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से।
2. अपर लोक अभियोजक– राज्य की ओर से।

–: आदेश :– **दिनांक : 16.06.2026**

1. प्रार्थी सतीश जैन की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय सेशन न्यायालय, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से यह जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय को अन्तरित किए जाने पर दर्ज रजिस्टर कर नकल अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अपर लोक अभियोजक को देकर अनुसंधान पत्रावली तलब कर उभय पक्ष की बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 16.05.2026 को प्रताप सिंह सहायक उपनिरीक्षक मय मुलाजमान मुखबिर सूचना पर वक्त 11.00 पीएम पर सब्जी मण्डी कस्बा हनुमानगढ़ जंक्शन के पास वाली गली में मुड़े तो एक व्यक्ति ट्रांसमीटर के पास गली में खड़ा हुआ अपने हाथ में मोबाईल फोन पर टाईपिंग करता हुआ नजर आया, जिस पर शक होने पर गाड़ी रोककर पास पहुंचे, तो उक्त व्यक्ति एकदम घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, जिस पर साथी कांस्टेबल की मदद से उक्त शक्स को काबू कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामदास पुत्र श्री जोगीराम होना बताया एवं मोबाईल फोन पर

ऑनलाईन सट्टा की खाईवाली करना बताया, जिस पर साथी कांस्टेबल की मौजूदगी में शक्स रामदास की तलाशी ली गई तो हाथ में एक एंड्रॉयड मोबाईल फोन मिला। शक्स के पहने कपड़ों की तलाशी ली गई तो काले रंग के हॉफ लोवर की जेब में रूपये मिले, जिनको गिना गया तो 13950 रूपये नगदी हुए। तलाशी में मिले एंड्रोयड मोबाईल फोन का निरीक्षण किया गया तो फोन में दो सिम एक्टिव हैं। मोबाईल फोन में इंस्टॉल वाट्सएप को खोलकर चैक किया तो प्रोफाईल पर शक्स रामदास स्वयं की डीपी लगी है और ramdas4567996 नाम से एकाउंट चालू है। उक्त वाटसएप एकाउंट का अवलोकन किया गया तो एकाउंट में Z RDS 10/90 20% PATTI√ नाम का ग्रुप बना है, जिसको ओपन कर चैक किया गया तो ग्रुप में कुल 6 व्यक्ति एडमिन स्वयं शक्स रामदास है। ग्रुप में कुल 11 मैम्बर है। उक्त ग्रूप की चैट का अवलोकन किया गया तो शक्स रामदास द्वारा ग्रूप में सट्टा के अंक टाईप कर व पर्ची पर लिखकर भेजे हुए हैं। शक्स रामदास के वाटसएप में बलराम जाखड़ मोबाईल नम्बर 9602694726 के द्वारा चैट में सट्टा के अंक प्राप्त हुए हैं, रूपये प्राप्त होने के स्क्रीनशॉट भी प्राप्त हुए हैं। शक्स रामदास ने पूछने बताया कि वह विभिन्न लोगों से रूपये लेकर उनके सट्टे के अंक लिखकर राजेश जैन निवासी सेक्टर नम्बर 12 हनुमानगढ जंक्शन को मोबाईल ग्रूप में भेजता है, जो आगे उनकी गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों को भेजते हैं। इस प्रकार वे संगठित होकर सट्टे का कारोबार करते हैं। शक्स रामदास की तलाशी में मिले मोबाइल व 13950 रूपये नगदी को बतौर वजह सबूत जब्त किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया...आदि। उक्त फर्द जब्ती के आधार पर पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन में प्राथमिकी सं0 357/2026 दर्ज की जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। प्रार्थी **सतीश जैन** के आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी रिपोर्ट मौजूद नहीं है :–

S. No	FIR No. & PS	Case No.	Under Section	Date of Institution	Status	Date of Arrest	Date of Release
	Not Available						

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित अभिवचनों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को झूठा फंसाया जा रहा है। उसका एफआईआर में कहीं नाम अंकित नहीं है। उसका वर्तमान में Operation करवाया हुआ है तथा वह चलने–फिरने में असमर्थ है तथा बैड रेस्ट पर है। प्रकरण में उससे कोई बरामदगी नहीं होनी है। यदि पुलिस द्वारा प्रार्थी को गिरफ्तार किया जाता है तो प्रार्थी की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। अंत में प्रार्थी का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. उपर्युक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली और संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि यह मामला अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 112 (2) भारतीय न्याय संहिता, धारा 13 आरपीजीओ व धारा 66 डी आईटी एक्ट के तहत अन्वेषणाधीन है। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार अन्य आरोपी रामदास के वाटसएप पर ramdas4567996 के नाम से चालू एकाउंट में Z RDS 10/90 20 PATTI नाम का ग्रुप बना हुआ है, जिसमें कुल 06 व्यक्ति एडमिन है, जिनमें रामदास व **सतीश जैन** के अलावा चार एडमिन और हैं, जिनके द्वारा ग्रूप का संचालन किया जा रहा है। उक्त सभी ग्रूप एडमिन द्वारा सट्टा अंक टाईप कर व पर्ची पर लिखकर भेजे व आये हुए हैं तथा पैसों का लेन–देन फोन–पे व गूगल–पे द्वारा किए हुए है, जिनके स्क्रीन शॉट शामिल पत्रावली हैं। एडमिन व्यक्तियों की कैफ आई.डी. मय सीडीआर पत्रावली पर हैं। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी से अन्वेषण शेष होना बताया गया है। जहां तक प्रार्थी का वर्तमान में Operation होकर उसके चलने–फिरने में असमर्थ होने का प्रश्न है, तो इसके समर्थन में उसके द्वारा कोई चिकित्सकीय दस्तावेज अग्रिम जमानत आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः ऐसे में प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अनुसंधान में प्रार्थी की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए प्रार्थी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

6. अतः प्रार्थी सतीश जैन की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुसंधान अधिकारी हस्तगत प्रकरण में न्यायिक दृष्टांत **AIR 2014 SC 2756 : Arnesh Kumar Vs State of Bihar & Anr.** में **माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना करे। आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ अनुसंधान अधिकारी को प्रेषित की जाए।

(लतिका दीपक पाराशर)
अपर सेशन न्यायाधीश सं0 2,
हनुमानगढ़

7. आदेश आज दिनांक 16.06.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(लतिका दीपक पाराशर)
अपर सेशन न्यायाधीश सं0 2,
हनुमानगढ़

SURENDER KUMAR
Steno Gr. I "Authenticate document"
Digitally signed by SURENDER KUMAR
Date: 2026.06.18 08:19:48 +0530